प्रेस नोट 04.10.2020

मुख्तार अंसारी गिरोह आईएस 191 के अत्यंत नजदीकी, कोयला माफिया व अपराधिक गैंग आईआर–09 के सदस्य व हिस्ट्रीशीटर राजेश उर्फ राजन सिंह की 60 लाख 18 हजार रूपये की सम्पत्ति अन्तर्गत धारा 14(1) गैंगस्टर एक्ट के तहत मऊ पुलिस द्वारा जब्त–

जनपद मऊ पुलिस के द्वारा आपराधिक माफिया व उनके गुर्गों के विरुद्ध प्रचलित कार्यवाही के क्रम में आज दिनांक 04.10.2020 को मुख्तार अंसारी गिरोह आईएस 191 के अत्यंत नजदीकी व मुख्तार अंसारी के साथ **मन्ना सिंह हत्याकांड 2009 में गवाह राम सिंह मौर्या एवं सुरक्षा में लगे आरक्षी सतीश हत्या** में सह अभियुक्त रहे त्रिदेव कंस्ट्रक्शन/त्रिदेव कोल डिपो/त्रिदेव ग्रुप के पूर्व मालिक कोयला माफिया **राजेश सिंह उर्फ राजन सिंह पुत्र रामवृक्ष सिंह निवासी अहिलाद थाना सरायलखंसी जनपद मऊ की लगभग 60 लाख 18 हजार की अपराध व अवैध रूप से अर्जित धन से बनाई गई संपत्ति अन्तर्गत धारा 14(1) गैंगस्टर एक्ट के तहत जब्त की गई है।**

आज दिनांक 04.10.2020 को क्षेत्राधिकारी नगर के नेतृत्व में प्रभारी निरीक्षक सरायलखंसी, कोतवाली व दक्षिणटोला के द्वारा राजेश सिंह उर्फ राजन सिंह पुत्र रामवृक्ष सिंह की अपराध से अवैध रूप से अर्जित किए गए ग्राम परदहा तहसील सदर में स्थित आराजी संख्या 2288 में 27 कड़ी भूखंड कीमत 09 लाख 18 हजार व उस पर निर्माणधीन तीन मजिला मकान कीमत 51 लाख कुल कीमत 60 लाख 18 हजार रूपये की संपत्ति को धारा 14(1) गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत जब्त कराई गई।

यह भी उल्लेखनीय है कि पूर्व में दिनांक 17.09.2020 को उक्त राजेश सिंह उर्फ राजन सिंह की ग्राम खरगजेपुर में भूखंड कीमत 35 लाख 23 हजार की संपत्ति जब्त की जा चुकी है।

इस प्रकार अब तक राजेश सिंह उर्फ राजन सिंह की कुल लगभग 95 लाख 41 हजार 600 कीमत की सम्पत्ति जब्त की जा चुकी है।

राजेश सिंह उर्फ राजन सिंह त्रिदेव कंस्ट्रक्शन कंपनी/त्रिदेव कोल डिपो/त्रिदेव ग्रुप का संचालन अपने भाई उमेश सिंह के साथ मिलकर करता रहा है। इसके द्वारा मुख्तार अंसारी व गिरोह की आर्थिक रूप से मदद पिछले दो दशकों से की जाती रही है।

वर्ष 2009 में हुये मन्ना सिंह हत्याकांड में गवाह **राम सिंह मौर्य व उनकी सुरक्षा में लगे पुलिसकर्मी आरक्षी सतीश की सन 2010 में ताबड़तोड़ फायरिंग कर हत्या कर दी गई** जिस के संबंध में थाना दक्षिण टोला में एफआईआर नम्बर 399/2010 पंजीकृत किया गया। इस अभियोग में **राजन सिंह, मुख्तार अंसारी के साथ सह अभियुक्त था** इस हत्याकांड के संबंध में थाना दक्षिणटोला में मु0अ0सं0 891/2010 धारा 3(1) गैंगस्टर एक्ट का अभियोग विरुद्ध मुख्तार अंसारी, राजन सिंह व अन्य अभियुक्तों के विरुद्ध 2010 में दर्ज किया गया। इसके अलावा भी उमेश सिंह व राजन सिंह के विरुद्ध कुल 08 अभियोग पंजीकृत है।

पिछले दो दशकों के दौरान राजन सिंह व उमेश सिंह के द्वारा मुख्तार अंसारी व गिरोह के मुख्य शरणदाता व आर्थिक मददगार के रूप में अतिसक्रिय व अग्रणी भूमिका रही है। माफिया से सम्बन्धों का फायदा उठाकर इंदारा कोपागंज में कोल डिपो स्थापित कर मोनोपोली बनाते हुए कोयला माफिया के रूप में इन दोनों के द्वारा अर्जित धन से मुख्तार अंसारी गिरोह की फंडिंग लंबे समय से की जाने की भी बात प्रकाश में आई है।

यह भी उल्लेखनीय है कि उक्त राजेश उर्फ राजन सिंह के भाई उमेश सिंह की अपराध व अवैध रुप से अर्जित लगभग 6.5 करोड़ रूपये की संपत्ति पूर्व में जब्त की जा चुकी है।

अपराधिक इतिहास राजेश उर्फ राजन सिंह–

1. मु0अ0सं0 91ए/97 धारा 504,507 भादवि थाना सरायलखंसी मऊ।
2. मु0अ0सं0 91ए/98 धारा 110जी सीआरपीसी थाना सरायलखंसी मऊ।

3. मु0अ0सं0 91ए/98 धारा 302,307,120बी,34 भादवि व 7 सीएलए एक्ट थाना सरायलखंसी मऊ।

4. मु0अ0सं0 399/10 धारा 147,148,149,302,307,120बी व 34 भादवि थाना सरायलखंसी मऊ।

5. मु0अ0सं0 891/10 धारा 3(1) गैं0 एक्ट थाना दक्षिणटोला मऊ।

6. मु0अ0सं0 20/14 धारा 147,148,149,302,307,506,120बी भादवि व 7 सीएलए एक्ट थाना तरवां आजमगढ़।

7. मु0अ0सं0 50/17 धारा 110जी सीआरपीसी थाना सरायलखंसी मऊ।

8. मु0अ0सं 360/17 धारा 504,507 भादवि थाना सरायलखंसी मऊ।

इस तरह मुख्तार अंसारी गिरोह के माफियाओं व सहयोगियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान में विगत 03 माह में कुल 21 करोड़ 30 लाख 41 हजार की चल/अचल संपत्तियों को जब्त किया जा चुका है।

दिनांक 30.09.2020 को थाना मधुबन क्षेत्रान्तर्गत गुमशुदा युवक की हुयी हत्या का खुलासा, घटना में संलिप्त मुख्य आरोपी सहित 03 अभियुक्त गिरफ्तार एवं कब्जे से मृतक का मोबाईलफोन व मो0सा0 बरामद–

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री सुशील घुले के निर्देशन में अपराध/अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना मधुबन पुलिस को उस समय अहम सफलता हाथ लगी जब दिनांक 02.10.2020 को, बहवाले रपट संख्या 32 पर श्री नंद मोहन मल्ल पुत्र राधेश्याम निवासी गांगावीर थाना मधुबन जनपद मऊ अपने भतीते अक्षय कुमार पुत्र अमित कुमार जो दिनांक 30.09.20 को शांयकाल 5 बजे वाहन संख्या यूपी 54 एके 1811 मो0सा0 अपाची से घर से मधुबन बाजार जाने तथा वापस न आने के बाबत गुमशुदगी दर्ज कराया था। उपरोक्त कि जांच के दौरान प्रकाश में आये सदिग्ध हिमांशू उर्फ बलबीर मल्ल के बारे में जरिये मुखबिर की सूचना पर कि वह इस समय रामपुर बेलौली बाजार में शराब ठेके के पास मौजूद है यदी वह पकड़ा जाए तो हो सकता है कि विक्की के बारे में कुछ पता चल जाए मुखविर के सूचना पर मै एसएचओ मय हमराह कर्मचारीगण तथा मुखबिर के रामपुर बेलौली बाजार में शराब के दुकान के पास पहुँचा तो पुलिस को देखकर बलबीर उपरोक्त घबड़ाया हुआ दिखाई दे रहा था तथा अपने आप को दुकान के आड़ में छिपाने कि कोशिश कर रहा था जो हम पुलिस वालो को देखकर सकपका गया तथा मौके से भागना चाहा जिसे मौके पर ही हमराही कर्म0गण के मदद से पकड़ लिया गया नाम पता पूछा गया तो उसने अपना नाम हिमांशु उर्फ बलबीर मल्ल पुत्र स्व0 नारद मल्ल निवासी खीरीकोठा थाना मधुबन जनपद मऊ बताया जिसे अक्षय कुमार उर्फ विक्की पुत्र अमित कुमार निवासी गांगेवीर थाना मधुबन जनपद मऊ के विषय में पुछा गया तो वह सकपका गया और इधर उधर कि बाते बताने लगा जिससे कड़ाई से पूछताछ कि गयी तो बताया कि साहब मैने अपने साथी अशोक उर्फ छोटू मल्ल पुत्र संजय मल्ल तथा विवेक मल्ल पुत्र संजय मल्ल निवासी उसरी थाना मधुबन जनपद मऊ के साथ मिलकर अक्षय कुमार उर्फ विक्की की हत्या नन्दौर बाजार के पीछे स्थित बगीचे में दिनांक–30.09.20 को शाम 7 बजे कर दिया है, इस निशानेदही पर मौके पर जाकर गुमशुदा युवक की लाश को बरामद किया गया तथा उपरोक्त अभियुक्तों अशोक मल्ल उर्फ छोटू व विवेक मल्ल को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से मृतक का मोबाईलफोन (वीवो) व अपाची मोटर साइकिल नं0 यूपी 54 एके 1811 बरामद किया गया। इस सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर उक्त अभियुक्तों के विरुद्ध मु0अ0सं0 632/20 धारा 34/302 भादवि पंजीकृत किया गया।

कड़ाई से पूछताछ के दौरान बताया कि विक्की जो गांगेवीर का रहने वाला है मेरी बहन से बातचीत व परेशान करने का प्रयास करता था जिसकी शिकायत मेरी बहन ने मुझसे की तो मैने विक्की उर्फ अक्षय को मना किया तो नही माना और मुझको बोला कि मै बात करूंगा, और मेरी बेईज्जती की, यह बात मेरे मन मे बैठ गयी। उसरी के छोटू मल्ल मेरा दोस्त है जिससे मेरी अक्सर बातचीत होती थी छोटू ने मुझसे कहा कि कहीं अपाची मोटर साइकिल मिले तो बताना गेम करूंगा पैसे की जरूरत है विक्की सफेद

अपाची से चलता था, मैने एक योजना बनायी और छोटू से कहा कि एक अपाची है लेकिन तुम्हे मेरा काम करना होगा छोटू और उसका भाई तैयार हो गया। छोटू कि विक्की से बातचीत होती थी दिनांक 30.09.20 को मै दोपहर में योजना के तहत खीरीकोठा से मधुबन बाईपास रोड पर पहुँचा जहा पर छोटू और उसके भाई विवेक मिले जहा से हम लोग कटघरा गांव के पीछे वाले बगीचे मे पहुचे वहा से छोटू ने विक्की को फोन करके लगभग 05 बजे बुलाया। छोटू दारू की बोतल लेकर आया था, बगीचे मे विक्की भी आ गया और मैने, विक्की, और छोटू और उसके भाई विवेक मल्ल ने वहा पर दारू पी फिर वहां से नन्दौर दारू बीयर के ठेके पर आये जहा पर छोटू और विक्की ने शराब ली हम लोग पुनः नन्दौर गाव के मंदिर के सामने वाली सडक पकडकर बगीचे मे पहुचे जहा पर हम चारो ने दारू पी मैने विक्की को जानबूझकर ज्यादा पिला दिया नशा ज्यादा होने पर विक्की को मारने का मैने छोटू को इशारा किया तो छोटू ने विक्की के सिर पर पीछे ईंट मारी विक्की गिर गया तो मैने और विवेक ने सर पर ईंट मारी जिससे उसकी मृत्यु हो गयी उसके बाद शव को ले जाकर झाडी मे छिपा दिया।

गिरफ्तारशुदा अभियुक्तगण–

1. हिमांशू उर्फ बलबीर मल्ल पुत्र स्व0 नारद मल्ल निवासी खीरीकोठा थाना मधुबन मऊ।
2. अशोक उर्फ छोटू मल्ल पुत्र संजय मल्ल निवासी उसरी थाना मधुबन मऊ।
3. विवेक मल्ल पुत्र संजय मल्ल निवासी उसरी थाना मधुबन मऊ।

बरामदगी–

1. मृतक का मोबाईलफोन वीवो।
2. मृतक की अपाची मोटर साइकिल नं0 यूपी 54 एके 1811।

गिरफ्तार/बरामदकर्ता पुलिस टीम–

निरीक्षक श्री संजीव दूबे **प्रभारी निरीक्षक थाना मधुबन**, उ0नि0 गंगाराम बिंद, आ0 अमित यादव, हरेन्द्र पटेल, रंजीत यादव थाना मधुबन।

मुख्तार अंसारी गिरोह के नजदीकी, गैंगेस्टर एक्ट में वांछित 03 शातिर अभियुक्त गिरफ्तार–

संगठित अपराध/अपराधियों के विरुद्ध मऊ पुलिस प्रशासन द्वारा चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना दक्षिणटोला पुलिस को उस समय अहम सफलता हाथ लगी जब आज दिनांक 04.10.2020 को जरिये मुखबिर की सूचना पर ईदगाह डिहवा के पास से मु0अ0सं0 230/20 धारा 3(1) गैंगेस्टर एक्ट में वांछित अभियुक्तों क्रमशः अबू रफी आजमी व जियाउल रहमान पुत्रगण मुख्तार अहमद, एवं रशीद अहमद पुत्र स्व0 अशफाक अहमद निवासीगण जमालपुरा थाना दक्षिणटोला मऊ को गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तारशुदा अभियुक्तगण–

1. अबू रफी आजमी पुत्र मुख्तार अहमद।
2. जियाउल रहमान पुत्र मुख्तार अहमद।
3. रशीद अहमद पुत्र स्व0 अशफाक अहमद निवासीगण जमालपुरा थाना दक्षिणटोला मऊ।

उल्लेखनीय है कि उपरोक्त गैंग लीडर अबू रफी सहित तीनों शातिर किस्म के अपराधी हैं जो गैंग बनाकर अवैध तरीके से जमीन कब्जेदारी करने के अपराध में संलिप्त हैं तथा अवैध तरीके से जमीन कब्जेदारी जैसे अपराध कारित करके आर्थिक एवं भौतिक लाभ प्राप्त करते हैं जिसके सम्बन्ध में थाना दक्षिणटोला में दिनांक 03.10.2020 को उक्त अभियुक्तों व अन्य सदस्यों के विरुद्ध मु0अ0सं0 230/20 धारा 3(1) गैंगेस्टर एक्ट पंजीकृत किया गया था।

चोरी के समान के साथ एक गिरफ्तार–

दिनांक 03.10.2020 को थाना **घोसी** पुलिस द्वारा देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान जरिये मुखबिर की सूचना पर राजू मौर्या पुत्र रामबचन निवासी रसूलपुर थाना घोसी मऊ के कब्जे से चोरी की एक अदद

घण्टी, एक अदद दीपदान बरामद कर गिरफ्तार किया गया। उक्त अभियुक्त से जब कड़ाई से पूछताछ की गयी तो उसके द्वारा उक्त चोरी की घटाना टेसूपार में मंदिर से करने की बात स्वीकारी। इस सम्बन्ध में उक्त अभियुकत के विरूद्ध थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 498/20 धारा 457,380,411 भादवि0 का अभियोग पंजीकृत कर चालान न्यायालय किया गया।

एक वांछित अभियुक्त गिरफ्तार–

आज दिनांक 04.10.2020 को थाना **कोतवाली** पुलिस द्वारा देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान मु0अ0सं0 525/20 धारा 504,506,307 भादवि0 में वांछित अभियुक्त मो0 जावेद पुत्र सकील अहमद निवासी करीमुद्दीनपुर थाना घोसी मऊ को गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया।

महिला एच्छिक ब्यूरो के प्रयास से चार दंपति साथ–साथ रहने को हुए राजी 18 में से 09 मामलों का हुआ निस्तारण–

महिला एच्छिक ब्यूरो की बैठक रविवार को पुलिस लाइन में पुलिस अधीक्षक मऊ श्री घुले सुशील चंद्रभान के निर्देशन और क्षेत्राधिकारी मधुबन राजकुमार सिंह की देखरेख में हुई। इसमें कुल 18 मामले आए, जिसमें परामर्श केंद्र के सदस्यों के प्रयास से आठ मामलो का निस्तारण हुआ । जिसमें चार दंपति अपने सभी मतभेद भुलाकर साथ–साथ रहने को तैयार हो गए। इस दौरान दो मामलों में पक्षकारों ने सुलह के लिए समय की मांग किया। वही तीन मामलों में एक एक पक्षकार उपस्थित हुए तथा पांच मामलों में कोई पक्षकार उपस्थित नहीं हुआ। जिसके चलते बैठक की अगली तिथि 18 अक्टूबर नियत कर अनुपस्थित पक्षकारों को नोटिस भेजने का निर्देश दिया गया । महिला एच्छिक ब्यूरो के सदस्यों के प्रयास से प्रियंका और राजेश, पूजा और अजय,मनरावती और रामसोच तथा राजनारायण मिश्रा और जागृति मिश्रा ने आपसी मतभेद भुलाकर साथ साथ रहने को तैयार हो गए। वहीं ज्योति वर्मा और राधेश्याम,प्रियंका और राकेश,कृष्णावती देवी और सरोज तथा सुनीता और अवधेश के मामले में पक्षकारों की सहमति से पत्रावली निस्तारित कर दी गई। प्रियंका गुप्ता और प्रवीण गुप्ता तथा सायदा परवीन और उफैजा के मामले मे पक्षकारों ने सुलह के लिए समय की मांग किया। वही रीमा और अरविन्द कुमार,रमेश और मनीष तथा रूपेश कुमार और अंजली के मामले में एक –एक पक्ष उपस्थित हुए तथा आशिया खातून और इजहार अहमद, शमा परवीन और मुहम्मद बेलाल, कौशल्या और मनीष, संगीता और राहुल तथा पूजा और सुमित के मामले में कोई पक्षकार उपस्थित नहीं हुआ। जिसके चलते बैठक की अगली तिथि 18 अक्टूबर नियत कर अनुपस्थित पक्षकारों को नोटिस भेजे जाने का निर्देश दिया गया। इस दौरान प्रतिसार निरीक्षक विजय कुमार सिंह, एच्छिक ब्यूरो के सदस्यगण इब्राहिम सेवक, विनोद कुमार सिंह, मौलवी अरशद, अर्चना उपाध्याय तथा महिला आरक्षी प्रीति दुबे और सोनी सिंह ने योगदान दिया। बैठक में कोविड–19 के दिशा निर्देशों का पालन तथा सामाजिक दूरी बनाए रखते हुए बैठक की गई । बैठक में काफी संख्या में पक्षकार और उनके परिजन उपस्थित रहे।